

आयकर अपीलिय अधिकरण, अहमदाबाद न्यायपीठ 'डी', अहमदाबाद

श्री प्रदीप कुमार केडिया, लेखा सदस्य

एवं

श्री महावीर प्रसाद, न्यायिक सदस्य के समक्ष

(आभासी न्यायालय के माध्यम से संचालित किया गया)

| S.No | Appeal | A.Y. | Appellant (PAN NO.) | Respondent | A.R. |
|------|---------------------------|---------|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | ITA No. 1516/Ahd/2014 | 2010-11 | Bipinbhai Naranbhai Patel (AHZPP5306L) | The ITO, Ward-7(1), Ahmedabad | Shri S. N. Divatia |
| 2 | ITA No. 2230/ Ahd/2017 | 2010-11 | Bipinbhai Naranbhai Patel (AHZPP5306L) | ITO, Ward- 4(2)(1), Ahmedabad | Shri S.N. Divatia |
| 4 | ITA No. 685/Ahd/2013 | 2007-08 | M/s. Pressure Jet Systems (AAEFP7210K) | ITO, Ward- 6(4), Ahmedabad | Ms. Urvashi Shodhan |

| | |
|---------------|---|
| राजस्व द्वारा | श्री आर. आर. मकवाना, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि |
|---------------|---|

| | |
|-----------------|------------|
| सुनवाई की तारीख | 25.01.2021 |
| घोषणा की तारीख | 25.01.2021 |

आदेश/ORDER

प्रति न्यायपीठ:-

उपरोक्त शीर्षकवाली तीन अपीलें विभिन्न निर्धारण वर्षों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपीलें) ('सीआइटी(ए)') के क्रमशः आदेशों से उत्पन्न हुई हैं।

2. अनुशीर्षक वाले निर्धारितियों ने इस आधार पर उपरोक्त सूचीबद्ध अपीलों को वापस लेने हेतु निवेदन किया है कि उन्होंने 'विवाद से विश्वास योजना,

2020' (वीएसवी) लाभ उठाने का विकल्प चुना है। जब मामला सुनवाई के लिए बुलाया गया, निर्धारिती के विध्वान परामर्शदाताओंने शुरु में ही प्रस्तुत किया कि वे वीएसवी योजना का लाभ उठाने हेतु उपरोक्त अपीलों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं और इसलिये अनुरोध किया गया है कि अपील वापस लेने के लिए उनके आवेदनों को मंजूरी दी जाये। इस संबंध में लिखित अनुरोधों का संदर्भ भी दिया गया।

3. राजस्व विभाग के विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने कहा कि निर्धारिती की ओर से वर्णित परिस्थितियों में अपील वापस लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

4. अनुशीर्षक वाले पक्षकारों की ओर से किए गए मौखिक/लिखित निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, सभी अपीलों को वापस ली गई मानते हुए खारिज किया जाता है। तथापि, किसी मामले में निर्धारिती वीएसवी योजना का लाभ लेने में किसी यथार्थ कारणों से असफल होता है, तब निर्धारिती के संबंधित को, आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष मूल अपीलों को कानून के अनुसार पुनः स्थापन कर सुनवाई हेतु मांग करने के लिए स्वतंत्रता होगी।

5. परिणामस्वरूप, अनुशीर्षक वाली सभी अपीलों को वापस ली गई मानते हुए खारिज किया जाता है।

(इस आदेश का उच्चारण दिनांक: 25.01.2021 को खुले न्यायालय में किया गया।)

हस्ता/-

(प्रदीप कुमार केडिया)

लेखा सदस्य

अहमदाबाद, दिनांक 25.01.2021

आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. निर्धारिती/अपीलार्थी/आवेदक
2. राजस्व/विभाग/प्रत्यर्थी
3. संबंधित आयकर आयुक्त

हस्ता/-

(महावीर प्रसाद)

न्यायिक सदस्य